(4)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 2024/338

1. औंकार आत्मज रामचन्द्र नाथ जाति योगी(नाथ बाबाजी)
2. बन्ना आत्मज रामचन्द्र नाथ जाति योगी(नाथ बाबाजी)
3. मुन्ना बालिग आत्मज रामचन्द्र नाथ जाति योगी(नाथ बाबाजी)
4. मेघराज आत्मज रामचन्द्र नाथ जाति योगी(नाथ बाबाजी)
5. फुला आत्मज रामचन्द्र जाति नाथ योगी (नाथ बाबाजी)
6. धन्नी बाई पुत्री रामचन्द्र जाति योगी (नाथ बाबाजी)
7. कलावती आत्मज रामचन्द्र जाति नाथ योगी(नाथ बाबाजी) निवासीगण कचनारिया पटवार मण्डल मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0।

——अपीलान्टगण

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी राज0

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित वक्त बहस :– श्री वहीद अहमद शेख, श्री मोहम्मद साहिल अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 14.05.2025**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 106/2019 में पारित निर्णय दिनांक 15.07.2024 व डिक्री दिनांक 28.11.2024 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांट की ओर से एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि.....यह कि भूमि खाता संख्या नया 124 पुराना 119 की भूमि ख.सं. 630 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा भूमि वाके ग्राम कचनारिया पटवार मण्डल मैण्डी भू.अभि. नि. मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी मे विस्थित है, जिसमें राजस्व रिकॉर्ड मे ओकार बन्ना, मुन्ना, मेघराज पिता रामचन्द्र नाथ, फुला बाई, धन्नी बाई, कलावती पुत्रिया रामचन्द्र नाथ सा. देह लीजदार अंकित है, जिसकी वर्तमान जमबांदी सम्वत् 2074 से 2077 वाद के साथ सलंग्न है। वादीगण ने काफी रकम खर्च कर उक्त भूमि उबड खाबड से समतल कर कृषि योग्य उपजाउ बनाई तथा उपरोक्त कृषि भूमि आज से करीब 60 वर्ष पहले से भूमिहीन कृषक होने से राज्य सरकार द्वारा वादीगण को काश्त

(5)

करने हेतु लीज पर भूमि दी थी जिस पर वादीगण शान्तिपूर्वक काबिज काश्त होकर निर्बाध रूप से सालो साल फसल बोते जोते एवं काटते चले आ रहे है। वादीगण उक्त भूमि की राज्य सरकार को नियमानुसार शुल्क अदा करते आ रहे है। फिर भी राज्य सरकार वादीगण की ओर बकाया निकालती है तो भूमि किमत एवं लगान नियामानुसार अदा करने को तैयार है। इस वर्ष भी वादीगण द्वारा ही उक्त भूमि पर गेहू की फसल की है तथा वादीगण ने ही काटी है, उक्त भूमि लीजदार दर्ज होने से वादीगण को उक्त भूमि पर कृषि ऋण, किसान केडिट कार्ड एवं अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नही मिल पा रहा है. तथा न ही कानूनी रूप से उक्त भूमि का उपयोग, उपभोग हो पा रहा है। इसलिये वादीगण राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी में जाति जोगी को दुरूस्त करवाकर योगी (नाथ बाबाजी) दर्ज करवाने एवं लीज से खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है। वादीगण अत्यन्त गरीब सयुक्त काश्तकार है जिसका परिवार कृषि भूमि पर निर्भर है, इस के अलावा वादीगण के पास अन्य कोई आय का स्त्रोत नही है तथा उक्त भूमि पर होने वाली पेदावार से ही वादीगण मय परिवार अपना भरण पोषण कर रहे है। वादीगण की उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में लीजदार दर्ज होने से संयोग से कानूनी रूप से उक्त भूमि का उपयोग, उपभोग नही कर पा रहे है जबकि वादीगण कई वर्षों से उक्त भूमि पर काबिज काश्त होने से कब्जा मुखालफाना (एडवर्स पजेशन) के आधार पर वादीगण विवादित भूमि के खातेदार आसामी बन चुके है, जो राजस्व रिकार्ड में अपनी जाति जोगी दुरूत करवा कर योगी (नाथ बाबाजी) अंकित कर उक्त भूमि पर खातेदार के रूप में घोषित करवाने के अधिकारी है। वादीगण द्वारा लीजदार के स्थान पर खातेदारी घोषित करने एवं जाति जोगी को दुरूस्त कर योगी (नाथ बाबाजी) अंकित करने का कई बार श्रीमान तहसीलदार साहब हिण्डोली को लिखित एवं मौखिक रूप से निवेदन किया लेकिन आज दिन तक कोई वादीगण के निवेदन पर ध्यान नही दिया गया, तथा वादीगण द्वारा दिनांक 27.5.2019 को तहसीलदार साहब के अधीनस्थ कर्मचारीयो से सम्पर्क कर जाति जॉगी दुरूस्त कर शुद्ध जाति योगी (नाथ बाबाजी) एवं लीज के स्थान पर खातेदार अंकित करने का अनुरोध किया तो अधीनस्थ कर्मचारीयो ने बाद न्यायालय के आदेश से ही राजस्व रिकोर्ड में जाति शुद्ध करने एवं लीज के स्थान पर खातेदारी अंकन करने को कहा यही वाद उत्पन्न का कारण है जो लगातार हो रहा है, तथा वादीगण के पास उक्त वाद पेश करने के सिवाय अन्य कोई कानूनी उपचार नही है, इसलियें प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर पाबन्द किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है वरना वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पुर्ति अर्थ से भी सम्भव नहीं हो सकेगी। प्रतिवादी को स्थायी निषेध राज्ञा जारी कर पाबन्द करवाने के सिवाय वादीगण के पास कोई कानूनी विकल्प नही है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादी निम्न आशय की स्थायी निषेधाज्ञा घोषणाधिकार की डिकी मय खर्चा सादिर फरमायी जावे कि (1) प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर पाबन्द फरमाया जावे कि वह वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि वाके ग्राम कचनारिया के राजस्व रिकार्ड मे वादीगण का नाम खातेदार के रूप में राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे। (2) यह कि वादीगण की जाति जोगी को विलोपित कर योगी (नाथ बाबाजी) राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी में अंकित किया जावे।(3) प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर पाबन्द फरमावे कि वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि या उसके किसी हिस्से से वादीगण को बेदखल नहीं करे नही उनके कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करे तथा उन्हे फसल बोने, जॉने, एवं काटने से नही रोके ऐसा प्रतिवादी स्वयं

प्रकरण में वादीगण की लीज की भूमि को उनके खाते में दर्ज कर देने से

नहीं करे नहीं अन्यों से करावे तथा न्यायोचित सहायता जो भी वादीगण के पक्ष में सुलभ हो प्रतिवादी से दिलवायी जावे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.07.2024 को वादीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज किए जाने का निर्णय पारित किया तदनुसार दिनांक 28.11.2024 को डिक्री पारित की गई।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.07.2024 एवं डिक्री दिनांक 28.11.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.07.2024 व डिक्री दिनांक 28.11.2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय दिनांक 15.07.2024 व डिक्री दिनांक 28.11.2024 को खारिज फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विद्वान अधिनस्थ उपखण्ड अधिकारी महोदय हिण्डोली द्वारा दिनांक 15–7–2024 को निर्णय पारित किया था जिसकी डिक्री दिनांक 28–11–2024 को बनाने पर प्रार्थीगण को निर्णय एवं डिक्री की नकल दिनांक 05–12–2024 को प्राप्त हुई। नकल प्राप्ति से उक्त अपील अन्दर अवधि पेश है। प्रार्थीगण द्वारा अपील पेश करने में जानबूझ कर देरी नही की। न्यायालय के निर्णय (आदेश) एवं डिक्री की नकल मिलते ही अपील पेश कर दी है देरी को माफ नहीं किया गया तो प्रार्थीगण न्याय प्राप्त नही कर सकेगें। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जा कर अपील पेश करने में हुई देरी को माफ फरमाया जावें। अन्त में अपीलांट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किए जाने व अपील अंदर मियाद शुमार किए जाने का निवेदन किया।

7. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश व निर्णय वस्तुस्थिति विधान एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय हिण्डोली द्वारा दिनांक 15–7–2024 व डिक्री दिनांक 28–11–2024 को वादीगण अपीलांटगण का वाद खारिज करने में कानूनी मूल की है अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को कानूनी रूप से सुनवाई किए बिना उक्त वाद खारिज किया है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय

का आदेश दिनांक 15–7–2024 व डिक्री दिनांक 28–11–2024 निरस्त होने योग्य है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय हिण्डोली द्वारा अपने आदेश में अंकित किया है कि वादीगण द्वारा उनकी लीजधारी में दर्ज भूमि में जाति जोगी को दुरूस्त करवाकर अपनी जाति नाथ बाबाजी अंकित करवाने एवं लीजधारी भूमि को खातेदारी अधिकार की घोषणा के साथ शुद्धि चाही गई है। वादीगण को खातेदारी अधिकार की प्रक्रिया अपना कर खातेदारी अधिकारों का अंकन करवाना चाहिए था जिससे उनको लीजदार से खातेदार दर्ज किया जायें। वादीगण साक्ष्य के अभाव में प्रमाणित/साबित नही होने से बाद खारिज किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण अपीलांटगण को उक्त प्रकरण में साक्ष्य का अवसर दिए बिना उनका वाद खारिज फरमा दिया इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 15–7–2024 व डिक्री दिनांक 28–11–2024 निरस्त होने योग्य है। उक्त वाद में वादीगण के लीजदार अधिकार की भूमि को बाद में खातेदारी में दर्ज कर दिया है इसलिए अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत उक्त वाद में वादीगण की जाति जोगी से योगी/नाथ बाबाजी अंकित किए जाने की सीमा तक ही उक्त अपील पेश की जा रही है अधिनस्थ न्यायालय को वादीगण अपीलांटगण की जाति जोगी के स्थान पर योगी नाथ बाबाजी अंकित करने का आदेश देना चाहिए था वादीगण अपीलांट्स एवं उनके परिजनों के खाते, कब्जे की अन्य भूमि के सम्बन्ध में पेश किए गए बाद में दिनांक 7–10–2022 को वादीगण की जाति जोगी से योगी (नाथ बाबाजी) अंकित करने का आदेश दिया है जो इसी न्यायालय का आदेश है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर विद्वान अधिनस्थ उपखण्ड अधिकारी महोदय हिण्डोली जिला बून्दी के आदेश दिनांक 15–7–2024 व डिक्री दिनांक 28–11–2024 को निरस्त फरमाया जा कर वादीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 630 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम कचनारिया पटवार हल्का मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी के राजस्व रिकार्ड में वादीगण अपीलांटगण की जाति जोगी के स्थान पर योगी (नाथ बाबाजी) संशोधित किए जाने के आदेश प्रदान किए जाने का निवेदन किया।

8. हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

हमारे मत में सर्वप्रथम प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया। अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 15.07.2024 को तथा डिक्री दिनांक 28.11.2024 को पारित की गई है तथा अपीलांट को डिक्री की नकल दिनांक 05.12.2024 को प्राप्त होने के पश्चात अपील पेश की गई है जो नकल प्राप्त होने की दिनांक से अंदर मियाद है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में अपीलांट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में वादीगण अपीलांटगण द्वारा वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम कचनारिया तहसील हिण्डोली की खाता संख्या 124 की खसरा सख्या 630 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा भूमि के सम्बंध में खातेदारी घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का अनुतोष चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 के अनुसार खसरा नम्बर 630 रकबा 10 बिघा 18 बिस्वा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अपीलांटगण का नाम बतौर लीजदार तथा अपीलांगण की जाति जोगी दर्ज रिकॉर्ड है। अपीलांटगण द्वारा प्रश्नगत वाद में स्वयं की जाति जोगी के स्थान पर योगी (नाथ बाबाजी) अंकित किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रकरण संख्या 127/2019 प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.10.2022 की फोटोप्रति संलग्न है जिसमें न्यायालय द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम कचनारिया तहसील हिण्डोली की खाता संख्या 95 की भूमि के जमाबंदी सम्वत् 2074–77 में दर्ज प्रार्थी की जाति जोगी के स्थान पर योगी(नाथ बाबाजी) शुद्ध दर्ज किये जाने का आदेश अंकित है। हस्तगत प्रकरण में भी अपीलांटगण वादीगण द्वारा भी राजस्व रिकॉर्ड में अंकित स्वयं की जाति जोगी के स्थान पर योगी (नाथ बाबाजी) अंकित किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत वाद में पारित अपने निर्णय दिनांक 15.07.2024 में वादीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र को साक्ष्यों के अभाव में प्रमाणित/साबित होना बताकर खारिज किए जाने का आदेश अंकित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न मौका फर्द दिनांक 18.10.2021 के अनुसार वादीगण अपीलांटगण की जाति योगी(नाथ बाबाजी) होने का अंकन है तथा उक्त मौका फर्द में पढ़वारी हल्का, भू–अभिलेख निरीक्षक एव नायब तहसीलदार एवं गवाहान के हस्ताक्षर अंकित है। अतः हमारे मत में वादीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य होना प्रथम दृष्ट्या प्रकट होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण के समान विषयवस्तु के प्रकरण संख्या 127/2019 को स्वीकार किया जाकर पक्षकारान की जाति जोगी के स्थान पर योगी(नाथ बाबाजी) होने का आदेश पारित किया गया है अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करते हुए निर्णय पारित किया जाना आवश्यक था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समान प्रकृति के दो प्रकरणों में विरोधाभाषी निर्णय पारित करते हुए प्रश्नगत वाद खारिज किए जाने का आदेश अंकित किया है जो त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कोई तनकीयात कायम नहीं की गई। अपीलांटगण की साक्ष्य नहीं ली गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 के अनिवार्य प्रावधानों की पालना किए बिना ही प्रश्नगत निर्णय दिनांक 15.07.2024 पारित किया गया है। हमारे मत में हस्तगत प्रकरण में विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न अन्तर्निहित है अतः वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में अपीलांटगण के हक अधिकारों

अपील संख्या 2024/338

औंकार बनाम सरकार

को लेकर निर्धारण अपीलांटगण को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत ही किया जाना संभव है। अतः हमारे मत में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 106/2019 में पारित निर्णय दिनांक 15.07.2024 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 की पालना करते हुए नवीन निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.06.2025 को स्वयं उपस्थित रहे।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 14.05.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/5/25

राजस्व अपील अधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी, कोटा